क्रमांक 16/7/84–3 जी0 एस0 –II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल
सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 7–3–84

विषय :– Concession to the dependents of the employees working in Boards and Corporations of Haryana States who die while in service.

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करूं तथा कहूं कि अभी तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान की नीति के अन्तर्गत नौकरी की सुविधा केवल हरियाणा सरकार के रैगुलर/स्थाई कर्मचारियों जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है के आश्रित परिवार के एक सदस्य को प्रदान की जाती है । अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य के विभिन्न बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा प्रदान की जाये। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ बोर्डों व निगमों को यह निदेश देने का कष्ट करें कि वे भी हरियाणा सरकार की नीति अनुसार संतप्त परिवार के एक आश्रित सदस्य को नौकरी की सुविधा प्रदान करें।

यह हिदायतें 9–2–84 को व उसके बाद मरने वाले कर्मचारियों के एक आश्रित परिवार सदस्य को नौकरी की सुविधा प्रदान करने हेतु लागू होंगी ।

इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाये व इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

हस्ता–
उप सचिव, प्रोटोकोल ,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव तथा सचिव ।

अशा : क्र0 16/1/84–3 जी0 एस0 –II दिनांक 7–3–84

एक एक प्रति मुख्य मन्त्री/मंत्रीगण/राज्य मन्त्री गण के प्रधान सचिव/निजी सचिवों/सचिवों को मुख्य मन्त्री/मन्त्रीगण या राज्य मन्त्रीगण की सूचना के लिये भेजी जाती है ।

हस्ता/–
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव तथा

2. मन्त्रीगण/राज्य मन्त्रीगण के सचिव/निजी सचिव ।